सं. पी-13013/95/2023-आईडी/आईटी/सांख्यिकी

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
दिनांक : 17 सितंबर, 2024

सेवा में.

1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान स्वास्थ्य सचिव / स्वास्थ्य विभाग के सचिव / स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार)
3. समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव / समाज कल्याण विभाग के सचिव / निदेशक, समाज कल्याण विभाग (सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार)
4. केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सभी भर्ती और परीक्षा निकायों के अध्यक्ष / प्रमुख

विषयः सरकारी नियोक्ताओं (जीई) या सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (जीआईएचई) और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (ओएचईआई) द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के निर्णय से व्यथित दिव्यांगजनों के मामलों के समाधान के लिए परामर्शी-सह-मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) ।

महोदय/ महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय का उल्लेख करने और आवश्यक अनुपालन के लिए सरकारी नियोक्ताओं (जीई) या उच्चतर शिक्षा के सरकारी संस्थानों (जीआईएचई) और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (ओएचईआई) द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के निर्णय से व्यथित दिव्यांगों के मामलों का समाधान

करने के लिए परामर्शी-सह-मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) इसके साथ संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

जसबीस्टह

(जसबीर सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय (सीसीपीडी), नई दिल्ली
2. राज्य मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (एससीपीडी) (सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार)
3. वेब प्रबंधक, डीईपीडब्ल्यूडी को इसे व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

सत्यमेव जयते

सं. पी-13013/95/2023-डीआईडी/आईटी/सांख्यिकी

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

दिनांक: 17 सितम्बर, 2024

सरकारी नियोक्ताओं (जीई) अथवा सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (जीआईएचई) और सरकार से सहायता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (ओएचईआई) द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से व्यथित दिव्यांगजनों के अपील मामलों पर कार्रवाई करने के लिए परामर्शी (समयबद्ध इनपुट) और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

(जारी करने की तारीख से प्रभावी)

1.1 यूडीआईडी परियोजना के बारे में:

"विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)" परियोजना का उद्देश्य सभी दिव्यांगजनों के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक विवरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं।

1.2 पृष्ठभूमि:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32 में सभी सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (जीआईएचई) और सरकार से सहायता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (ओएचईआई) में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 34 में समुचित सरकार को यह अधिदेश भी दिया गया है कि प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में बैंचमार्क दिव्यांगजनों से भरे जाने के लिए, इस अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार, समुचित सरकार द्वारा विधिवत पहचान किए गए, पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के चार प्रतिशत से कम नहीं होगी।

1.3 जब वैध और सक्रिय दिव्यांगता प्रमाण पत्र

वाला दिव्यांगजन सरकारी नौकरी (ओं) के लिए आवेदन करता है और सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (जीआईएचई) या सरकार से सहायता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (ओएचईआई) में दाखिला लेने के लिए आवेदन करता है और बाद में, सरकारी नियोक्ता (जीई) या सभी सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (जीआईएचई) या सरकार से सहायता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (ओएचईआई) के सूचीबद्ध अस्पताल / चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई चिकित्सा जांच में विफल होने पर उक्त सरकारी नौकरी में दिव्यांगजन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या उसके द्वारा उक्त दाखिला लेने से इनकार कर दिया जाता है, तब ऐसे मामलों पर दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटान के लिए स्थायी संचालन प्रक्रिया नीचे फ्लो चार्ट में निर्धारित की गई है । परामर्शी / एसओपी जारी करने के एक महीने के अंदर,

जीआईएचई/ओएचईआई के लिए सभी प्रमुख परीक्षा एजेंसियों और जीई के लिए भर्ती एजेंसियों द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों और अपीलीय अस्पताल की सूची के साथ एक अपील तंत्र अधिसूचित किया जाना चाहिए । दिव्यांगजन के मूल्यांकन के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा और चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए दिव्यांगजन द्वारा निम्नलिखित कार्य प्रवाह (वर्कफ़्लो) (अनुबंध-I) को अपनाया जाना है:

अनुबंध-I

अपील हेतु एसओपी

सरकारी नियोक्ताओं (जीई) / सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थान (जीआईएचई) / सरकारी सहायता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान (ओएचईआई), जहां वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र वाले दिव्यांगजन ने आवेदन किया है।

जीई/जीआईएचई / ओएचईआई ने दिव्यांगजनों की चिकित्सा जांच हेतु अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है। सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा दिव्यांगजन की चिकित्सा जांच करने पर दिव्यांगता को 40 प्रतिशत से कम मूल्यांकित करने पर वह दिव्यांगजन उस नौकरी या दाखिले की अपेक्षाओं में विफल हो जाता है या कुछ मामलों में, जहां दिव्यांगता पर 60 प्रतिशत या 80 प्रतिशत आदि जैसी उच्चतम सीमा है वहां सूचीबद्ध अस्पताल दिव्यांगता प्रमाणपत्र में उल्लेख किए गए दिव्यांगता प्रतिशत से उच्च स्तर पर दिव्यांगता के प्रतिशत का मूल्यांकन कर सकता है।

सरकारी नियोक्ता/सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को दिव्यांगता के प्रकार, उसके प्रतिशत और प्रकृति के बेमेल की रिपोर्ट करेंगे।

कई सूचीबद्ध अस्पताल दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए, यह शिकायत है कि सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा किए गए दिव्यांगता के मूल्यांकन और दिव्यांगता के प्रकार अथवा दिव्यांगता की प्रकृति (अस्थायी / स्थायी) पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

ऐसे मामलों में, व्यथित दिव्यांगजनों को अपनी शिकायत के समाधान के लिए न्यायालय, सीसीपीडी और एससीपीडी से संपर्क करना चाहिए क्योंकि जीई, जीआईएचई और ओएचईआई के इस तरह के सूचीबद्ध अस्पतालों में अपीलीय तंत्र की कमी है।

इसलिए, जीई, जीआईएचई और ओएचईआई एक अपील तंत्र तैयार करेंगे और उनके अपीलीय अस्पतालों को कम समय सीमा में दिव्यांगता के प्रकार, प्रकृति और प्रतिशत पर निर्णय लेने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश का प्रयोग करना होगा।

अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को आधिकारिक संचार के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

यदि, दिव्यांगजन जीई, जीआईएचई और ओएचईआई के अपीलीय अस्पताल के निर्णय से अभी भी असंतुष्ट है या जैसा भी मामला हो, तब उसे संबंधित न्यायालय (यों) से संपर्क करना चाहिए।